

Spice Mobility Limited

CIN: No. L72900DL1986PLC330369

Regd. Office: 622, 6th Floor, DLF Tower A, Jasola Distt Centre,

New Delhi - 110025 | Tel: 011 41251965

www.spicemobility.in | complianceofficer@smobility.in

spice

September 12, 2018

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 517214

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot no.C/1, G Block

Bandra - Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051

Scrip Code: SPICEMOBI

Sub: Notice to Equity shareholders for transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) - Intimation under Regulation 30 of Listing Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Company has sent notice to the shareholders who have not claimed or encashed their dividend for seven or more consecutive years and accordingly whose shares are liable to be transferred to Investors Education and Protection Fund (IEPF) Account as per the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (the 'Rules').


Further as required under the said Rules, the Company has also published a Notice in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on 11th September, 2018. A copy of the published notice is attached for your reference.

You are requested to kindly take the aforesaid information on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **Spice Mobility Limited**



M.R. Bothra

**Vice President - Corporate Affairs
& Company Secretary**



Encl: a/a



SPICE MOBILITY LIMITED
 Regd. Office: D22, 6th Floor, DLF Tower A, Jewala Dhat, Centre, New Delhi-110028
 Email: compliance@spicemobility.in
 Website: www.spicemobility.in, Tel: 491-11-41261865, GPN: 179000K1606FLC336369

NOTICE

For the attention of Equity Shareholders of the Company

This notice is hereby given pursuant to the provisions Section 124(b) of the Companies Act, 2013 read with Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time. The said Rules, inter-alia, contain provisions for transfer of all shares in the name of Investors Education and Protection Fund (IEPF) Account in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more. As per the aforesaid Rules, the Company will initiate action for transfer of the shares of those shareholders whose Dividend remained unclaimed/unpaid for more than 7 years (i.e. unpaid or unclaimed amount in respect of dividend for the financial year 2010-11) within 30 days from due date i.e. 4th November, 2018, without any further notice.

Please note that as per the abovementioned Rules, the Company would be issuing new Share Certificate in lieu of the Original Certificate(s) held by those shareholders for the purpose of transfer of the same to the Demat Account of the IEPF Authority. Upon such issue, the Original Share Certificates will stand automatically cancelled and will have no existence thereafter.

The Company had served the individual notice to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority under the said Rules at their latest available address. The Company has also uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to the said IEPF Account on its website www.spicemobility.in under the heading 'Investor Relations'.

The shareholders may please note that details uploaded by the Company on its website shall be deemed adequate notice in respect of issue of new Share Certificates for the purpose of transfer of shares to Demat Account of the IEPF Authority pursuant to the amended Rules.

The shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by the shareholders by making a separate application to IEPF authority in Form IEPF-5, as prescribed under the said Rules.

In case the shareholders have any query on subject matter, they may contact M/s. MAS Service Limited, (RTA) at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 020, Email id: info@masserv.com, Telephone No.: 011 - 26387281 or the Company Secretary of the Company at investors@smobility.in or at the above mentioned address of the Registered Office of the Company.

By order of the Board
 For Spice Mobility Limited
 M.R. Bothra
 Vice President - Corporate
 Affairs & Company Secretary

Dated: September 6th, 2018

Place: Noida

NOTICE



Principal Pnb Asset Management Company Pvt. Ltd.
 (CIN : U25000MH1991PTC064092)
 Regd. Off.: Exchange Plaza, 'B' Wing,
 Ground Floor, NSE Building, Bandra Kurla Complex,
 Bandra (East), Mumbai-400 051.
 Toll Free: 1800 425 5600 Fax: (022) 6772 0512
 E-mail: customer@principalindia.com
 Visit us at: www.principalindia.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) & SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) OF THE SCHEMES OF PRINCIPAL MUTUAL FUND [NO. 42/2018]

With reference to the Notice dated August 03, 2018 issued by Principal Pnb Asset Management Company Pvt. Ltd (PPAMC), Unit holders are informed that Principal Financial Services Inc., (the existing sponsor) has through its wholly owned subsidiary Principal International India Ltd (PIL) on August 24, 2018, acquired PNB's entire stake (constituting 21.38% of the paid up share capital of PPAMC) and (constituting 30% of the paid-up equity share capital of the Principal Trustee Company Pvt. Ltd). Pursuant to this investment, Principal International India Ltd becomes the co-settlor of the Mutual Fund, Principal Financial Group (Mauritius) Limited being the settlor. Principal Financial Services Inc., USA continues to be the sole Sponsor [acting through its wholly owned subsidiaries Principal Financial Group (Mauritius) Ltd. and Principal International India Ltd]

In this context, the following changes are hereby made in the Statement of Additional Information (SAI) and Scheme Information Documents (SID) of the Scheme(s) of Principal Mutual Fund:

The definition of "Co-Settlers" appearing under sub section D "ABBREVIATION & DEFINITIONS", under section II 'Introduction' in the SID is hereby replaced with the following:

Co-Settlers: Principal International India Ltd is a co-settlor to the Principal Mutual Fund, Principal Financial Group (Mauritius) Limited being the settlor.

The paragraph appearing under sub section B 'Sponsor', under section I 'INFORMATION ABOUT SPONSOR, AMC AND TRUSTEE COMPANIES' in the SAI is replaced with the below paragraph:

Principal Mutual Fund is sponsored by Principal Financial Services Inc., USA [acting through its wholly owned subsidiaries Principal Financial Group (Mauritius) Ltd. and Principal International India Ltd]. Principal Financial Services Inc., USA is the Settlor of the Mutual Fund Trust with Principal International India Ltd as co-settlor.

Aircel-Maxis interrogatio

PRESS TRUST OF INDIA
 New Delhi, September 10

THE ENFORCEMENT DIRECTORATE on Monday pressed for the custodial interrogation of Karti Chidambaram, son of Congress leader P Chidambaram, in the Aircel-Maxis case, telling a Delhi court that he showed "irritation" and "anger" during the probe warranting cancellation of protection from arrest.

Special CBI judge OP Saini asked Karti to file his response by September 18 on the plea of the ED, which alleged that the son of the senior Congress leader has violated the condition imposed by the court while granting relief.

The ED told the court that the interim protection was granted on March 24, 2018 on the condition that Karti will appear before the investigating officer as and when directed and join the probe, but he has been avoiding summons to appear before it after

the filing of Additional Tushar advocate appearing alleged th cooperati condition The ag that the approval "The: delibera mons is: 2016," derallir agency "WJ fronte he st some convi answ pretr " app for lea in; ar

Supreme on trial i

PRESS TRUST OF INDIA
 New Delhi, September 10

THE SUPREME COURT Monday sought a report sealed cover from a lower judge on how he intend complete the trial in the Masjid demolition case involving BJP veterans L K Advani, Murli Manohar Joshi and Bharti within the April deadline.

A bench of Justice Manoj Misra and Justice Dipak Mishra issued notice to the Delhi High Court to

ए-शरीक, 10 सितंबर (एएफपी)।

श्रीलंका आतंकवादियों ने देश के उत्तरी हिस्से में अलग हमले कर अपमान सुरक्षा बलों को बनाया, जिसमें उनके करीब 60 सदस्य मारे गए। यह हमले ऐसे समय में हुए हैं जब 17 वर्ष की हिंसा को समाप्त करने के लिए तालिबान के शांति वार्ता के प्रयास जारी हैं। युद्ध प्रस्त देश में कुछ हंगामों में हुई हिंसा के बाद रातभर चार में हुई भारी गोलीबारी में सैकड़ों नागरिक, सैनिक और सैनिक मारे गए। क्षेत्र के पुलिस प्रमुख अब्दुल करीम जाकिरजाय ने

आमह किया कि सर-ए-पोल स्थित सैन्य शिविर पर कब्जा करने के बाद तालिबानी आतंकवादी प्रांतीय राजधानियों को धमका रहे हैं। अगर मदद नहीं पहुंची तो स्थिति और अधिक 'खराब' हो सकती है। प्रांतीय गवर्नर जाहिर चाहदत ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि सर-ए-पोल के नजदीक सयाद जिले में सुरक्षा नाके पर कब्जा कर आतंकवादियों ने सुरक्षा बल के कम से कम 17 कर्मियों की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि हवाई मदद भलाई गई है। करीब 39 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं और अन्य 14 घायल हुए हैं। चाहदत ने कहा, 'शहर में गोलीबारी जारी है।

पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने सोमवार को नौ अक्टूबर से मामले की सुनवाई का फैसला किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीगा (पीएमएल-एन) की पूर्ववर्ती सरकार ने नवंबर, 2007 में संविधानेतर आपातकाल लागू करने को लेकर पूर्व सैन्य शासक के खिलाफ 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। न्यायमूर्ति यावर अली की अगुवाई वाले तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने सोमवार को मामले की कार्यवाही को स्थगित करते हुए कहा कि सुर्वाई में

C&L Finance Ltd
 Regd. Office: 8/19, Ground Floor, Park Lane, 1st E
 (Gate: 1745902, 1922/2005/462, 167/9/01/42/07/92, 011)
NOTICE ON LOSS OF SHAW
 Notice is hereby given that the following items were recovered from a
 person who has been reported to have lost the same. The person who
 has reported the loss of the same is requested to contact the company
 within 15 days of the date of this notice. If no claim is received by
 the company within the above period, the same will be treated as
 abandoned and the proceeds thereof will be distributed to the
 person who has reported the loss of the same.
 Name of the person who has reported the loss of the same: Mr. Gaurav T. Thakur
 No. of the item: 000602
 Date: 11.09.2018

श्रीलैंड के द्वीप पर भूकम्प, सुनामी की चेतावनी नहीं

श्रीलैंड के सुदूरवर्ती कर्मांडेक द्वीप पर बुधवार दोपहर का शक्तिशाली भूकम्प आया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि इससे सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया कि शाम करीब चार बजकर 19 मिनट पर आए भूकम्प का केंद्र ऑकलैंड के पूर्वोत्तर में 770 किलोमीटर दूर था।

अधिकारियों ने कहा कि इससे सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया कि शाम करीब चार बजकर 19 मिनट पर आए भूकम्प का केंद्र ऑकलैंड के पूर्वोत्तर में 770 किलोमीटर दूर था।

कार्पोरेशन बैंक
 भारतीय प्रतिभूति संस्थान (बीएसई) द्वारा जारी सूचीबद्ध बैंक।
 शाखा: एन-93, फोन: 911-23418231/24/25

जैसा कि, वित्तीय प्रतिभूति संस्थानों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति कार्पोरेशन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) पत्रिका 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त सविस्तरों का प्रयोग करते हुए अधोद्वार जारी कर ऋणधारक हैं, विद्युत शीट प्रवर्तन (ऋणधारक), श्री राजीव बंसल (पारदर्शिता/गारन्टर) तथा श्री निमित्त सक्सेना, पुत्र स्व. डी की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 20.2.2018 तिथि तक बहतर हजार छह सौ तिरासी मात्र) के साथ अनुयायिक खर्च, दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लेने में विफल रहे, अतः ऋण को सूचित किया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ प्रतिमाननीय मुख्य मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में निहित शक्तियों के अनुसार उ मजिस्ट्रेट, दिल्ली द्वारा पारित आदेश तिथि 27.7.2018 के अनुपालन में वर्णित संपत्ति का भीतिक कब्जा कर लिया है तथा आज, 7 सितंबर, 2018 को सौंप दिया है।

ऋणधारक(को)/ सह-ऋणधारक(को)/ गारन्टर(री) के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिविषय की धारा 13 की उप-धारा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय भुगतान का ब्याज तथा खर्च के साथ 20.2.2018 को रु. 8,93,72,683/- (रु तिरासी मात्र) की राशि के लिए कार्पोरेशन बैंक के धारक के अधीन

अचल सम्पत्तियां यथा

- चौखंडी आवासीय योजना, चौखंडी, नई दिल्ली-110018 की 98, माप 250 वर्ग मी. के दूसरे तल (छत/टैरस के अधिकांश)
- चौखंडी आवासीय योजना, चौखंडी, नई दिल्ली-110018 की 98, माप 250 वर्ग मी. के प्रथम तल (छत/टैरस के अधिकांश)
- चौखंडी आवासीय योजना, चौखंडी, नई दिल्ली-110018 की 98, माप 250 वर्ग मी. के बेस्मेन्ट तल (छत/टैरस के अधिकांश)

संपत्ति की चौखंडी इस प्रकार है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की तिथि: 7.9.2018, स्थान: नई दिल्ली

Spice
 स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड
 पंजी 0 कार्यालय: 622, छठां तल, डीएलएफ टावर ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट रोड, नई दिल्ली-110028
 ई-मेल: compliance@spicemobility.in वेबसाइट: www.spicemobility.in
 टेली: +91-11-41251865, सिलाई एन. नं. L72900DL1986PLC330369

सूचना
 कंपनी के इविटरी शेयरधारकों के ध्यान हेतु

यह सूचना एतद्वारा समय-समय पर संशोधित निदेशक विभा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और आम वापसी) नियम, 2018 के साथ पढ़े गए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान 124 (6) के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है। कथित नियम में, अन्य बातों के अतिरिक्त, निदेशक विभाग और संरक्षण फंड (आईईपीएफ) खाते के नाम पर उन सभी शेयरों के हस्तांतरण करने के प्रावधान हैं, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात साल या उससे अधिक समय, के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है। इन नियमों के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों जिनके लाभांश का 7 साल या अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है (वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश के संबंध में अनुमानित या गैर वादाकृत राशि) शेयरों के हस्तांतरण के लिए देय तिथि या 4 नवंबर, 2018 तक से 30 दिनों के अंदर बिना किसी और सूचना दिए, कार्यवाही शुरू करेगी।

कंपनी ध्यान दें कि उपरोक्त नियमों के अनुसार, कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से उन शेयरधारकों द्वारा आयोजित मूल प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों के बदले नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी। इस तरह उक्त निर्गत पत्र, मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतंत्र रहे जो जारी और उसके बाद इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा।

कंपनी ने उन सभी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस उनके लिए गए नवीनतम उपलब्ध पते पर दिया था जिनके शेयर निवनों के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.spicemobility.in पर कथित आईईपीएफ खाते में निवेशक संबंधी शीर्षक के नीचे हस्तांतरण के लिए देय ऐसे शेयरधारकों और शेयरों का पूरा विवरण भी उपलब्ध किया है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए विवरण को संशोधित नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पर्यटन सूचना माना जाएगा।

कृपया शेयरधारक यह नोट करें कि उपरोक्त नियमों के तहत गैर वादाकृत लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित शेयरों पर अतिरिक्त सभी लाभांश के लिए शेयरधारकों द्वारा फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण में अलग आवेदन करके दावा किया जा सकता है। यदि शेयरधारकों के पास इस विषय पर कोई प्रश्न है, तो वे मैसर्स एमएसएस सर्विस लिमिटेड, (आरटीपी) टी-34, दूसरा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020, ई मेल आईडी: info@massess.com, टेलीफोन नंबर: 011-26387281 या कंपनी के कंपनी अधिकारी से investor@spicemobility.in पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश द्वारा
 स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड के लिए
 एम आर बोधरा
 वाइस प्रेसिडेंट - कार्पोरेट
 कार्य और कंपनी अधिकारी

दिनांक: सितंबर 6, 2018
 स्थान: नोएडा

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यालयक अभियंता, दिल्ली विमानन प्रभाग, कैलॉलिचि, ईस्ट ब्लॉक-III, लेवल-VII, आर.के.पुलम, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्यों के लिये के.ए.ए.नि.वि. के स्वीकृत तथा योग्य ठेकेदारों से ऑन लाइन प्रतिस्पर्धा दर निविदाएँ आमंत्रित हैं:

1. प्लनआईटी सं. 16/ईई/डीएडी/एनआईटी/2018-19, कार्य का नाम: एएसपीसी कैम्पस, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली में प्रशासनिक ब्लॉक में एआईडी का नवीकरण।
 अनुमानित लागत: रु. 18,32,480/- (सिधिल: रु. 14,94,728/- + विद्युत रु. 3,37,752/-), धरोहर राशि: रु. 36,650/-, पूर्णता अर्थात: 3 माह, बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 17.9.2018 के 3.00 बजे अप. तक।

2. प्लनआईटी सं. 17/ईई/डीएडी/एनआईटी/2018-19, कार्य का नाम: एएसपीसी कॉन्वलेक्स, द्वारका, नई दिल्ली में केनेल ब्लॉक में 10 (दस) केजेज का निर्माण।
 अनुमानित लागत: रु. 20,25,065/- (सिधिल: रु. 18,77,208/- + विद्युत: रु. 1,47,757/-), धरोहर राशि: रु. 40,501/-, पूर्णता अर्थात: 3 माह, बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 17.9.2018 के 3.00 बजे अप. तक।

बोली सूचना तथा अन्य विवरण वेबसाइट: www.tenderwizard.com / CPWD से प्राप्त की जा सकती है। यह प्रेस सूचना www.eprocure.gov.in पर भी उपलब्ध है।

Dr. Lal Pathlabs
डॉ. लाल पैथलेब्स लिमिटेड
 कार्पोरेट आईईटी नम्बर: एल74839डीएस1995डीएलसीएस300
 5 सितंबर-18, दिल्ली, नई दिल्ली-110085

कार्पोरेशन बैंक
 सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अचल/चल सम्पत्ति
परदेहर राशि (इंफो) तथा दस्तावेजों

वित्तीय जांचियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सूचक) अधिनियम 2002 (2002 की सं "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "वायिल रहित आधार पर" उसको वेधने के अधिकार के साथ हमारी शाखाओं के पास सूचना के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। इसकी विकी वेब साईट: <https://bankmaucf>

क्र. सं.	शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई-मेल आईडी	ऋणधारक और गा का नाम
1	कार्पोरेशन बैंक, शाखा: एन-41, कर्नाट सर्कल, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23412633, 23412559, 23415355, ईमेल: cd0141@corpbank.co.in , वेबसाइट: www.corpbank.com सम्पत्ति से संबंधित जानकारी हेतु सम्पर्क करे श्री ए टी नारायण मूर्ध, फोन: 9971744655	कर्णदार मैसर्स रोपानी ज्वेलर्स प्रा. लि. तीसरी मंजिल, ब्लॉक बंगू पॉस्ट नं. 10, देश बंगू गुप्ता, रोड, करोल बाग, नई दिल्ली गा. नि. 160/79, पृथिवी तल: नं. XV/11/163-2 न्यू रोडक रोड, दिल्ली-110005, गारन्टर: 1. श्री सदीप रामजत रोड, करोल बाग, दिल्ली 2. भुलत, रामजत रोड, करोल बाग, दिल्ली 3. 669/6, न्यू रोडक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 4. इन्दरजीत शर्मा अर्थात् अपार्टमेंट, मैसर्स-14 एमएस अवन हाई 5004 5006 रोड, दिल्ली 5. श्रीमती इन्द्रावती शर्मा का नि. 606 चार्ज पत्र आ तीसरी मंजिल, ब्लॉक 3, इन्दरजीत रोड, करोल बाग